

Rajasthan Olive Cultivation Limited



(Joint Venture of Govt. of Rajasthan)
State Institute of Agriculture Management Campus,
Agriculture Research Station, Durgapura, Jaipur-302018
Rajasthan (India) Ph. 91-0141-2554106 TeleFax +91-141-2553506
Web:www.rajolive.com Email, rocl@rajolive.com
CIN:U01122RJ2007PLC024246

क्रमांक प.(69-सी) आर.ओ.सी.एल./2016-17/ 2004-20

जयपुर, दिनांक 16/9/2016

आमंत्रण-पत्र

राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 20.06.2016 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में विभिन्न जैतून फार्मों, मुख्यालय एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बस्सी जयपुर पर कृषि संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु अनुभवी एवं विगत समय में अनुबंध पर कार्य कर चुके, निम्नांकित व्यक्तियों से प्रस्ताव उनके नाम के सम्मुख अंकित मासिक पारीश्रमिक पर दिनांक 17.09.2016 से 22.09.2016 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम संख्या	नाम कार्मिक	पद	स्थान	नवीन पारीश्रमिक (प्रति माह) राशि रु.
1	श्री राजेन्द्र सिंह	कृषि विस्तार कार्यकर्ता	सांथू	22946
2	श्री सीताराम यादव	कृषि विस्तार कार्यकर्ता	लूनकरणसर	43670
3	श्री कैलाश कलवानियों	कृषि विस्तार कार्यकर्ता	बाकलिया	38247
4	श्री अशोक कुमार	कृषि विस्तार कार्यकर्ता	बासबिसना	35338
5	श्री जितेन्द्र कुमार	कृषि विस्तार कार्यकर्ता	तिनकिरुडी	32802
6	श्री अशोक	कृषि विस्तार कार्यकर्ता	मुख्यालय	12331
7	श्री भंवर सिंह	कृषि विस्तार कार्यकर्ता	मुख्यालय	14278
8	श्री राकेश मोर्य	कृषि विस्तार कार्यकर्ता	मुख्यालय	20328
9	श्री त्रिलोक चंद	कृषि विस्तार कार्यकर्ता	मुख्यालय	15120

इसकी मुख्य शर्तें निम्न प्रकार से हैं :-

1. यह स्पष्ट किया जाता है कि ये कोई भर्ती नहीं है तथा अनुबंध का आशय केवल मात्र सेंवाये देने तक है जिसके पेटे प्रस्तुत बिल का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा अर्थात् कंपनी एवं अनुबंधकर्मी के मध्य स्वामी एवं सेंवक का संबंध नहीं होगा।
2. कंपनी पूर्व में तथा अनुबंध के दौरान समय-समय पर जारी समस्त नियम दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।
3. अनुबंध की अधिकतम अवधि एक वर्ष के लिये होगी जो किसी समय नियमानुसार समाप्त की जा सकेगी।
4. अनुबंधकर्मी को मासिक सेवाओं के पेटे मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
5. दिनांक 22.09.2016 के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. इच्छुक व्यक्ति संलग्न अनुबंध प्रारूप पर राशि रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

